फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा धौलपुर बनाम श्रीमती गुड्डी बगैरा।

किस्म मुकदमाः—अन्तर्गत धारा 14 सराफेशी एक्ट 2002 मु0 नम्बर 13 सन् 2019

RCMS No. 2019/00028

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 15.04. 2019 | यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी शंकरलाल मीणा प्राधिकृत अधिकारी, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा धौलपुर ने अप्रार्थी/ऋणी 1. श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी श्री सुंदरसिंह, 2. श्री सुंदरसिंह पुत्र श्री कन्हैयालाल प्लॉट नं0 32, 33, 34, 35, 36 शिवाजी नगर, ओड़ेला रोड़ धौलपुर, के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 07.03.2016 को 13,00,000/—रूपये का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु ऋणी ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित हैः— श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी श्री सुंदरसिंह के नाम प्लॉट नं0 32, 33, 34, 35, 36 शिवाजी नगर, ओड़ेला रोड़ ग्राम महमदपुर धौलपुर राज0 (एरिया 1166.66 वर्ग गज बैंक रिर्कोड के अनुसार) स्थित भूमि एवं भवन। ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 12.12.2018 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति(एन0पी0ए0) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तथा दिनांक 26.12.2018 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 13,74,360.00/— रूपये मात्र दिनांक 25. 12.2018 तक एंव इस दिनांक के बाद की ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की। ऋणी 60 दिन में उक्त राशि अदा करने में असफल रहें। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा अपने पास बतौर बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है ।<br><br>हमने प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। | |

प्रा0
नेहा गिरि
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी सम्पत्ति श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी श्री सुंदरसिंह के नाम प्लॉट नं0 32, 33, 34, 35, 36 शिवाजी नगर, ओड़ेला रोड़ ग्राम महमदपुर धौलपुर राज0 (एरिया 1166.66 वर्ग गज बैंक रिर्कोड के अनुसार) स्थित भूमि एवं भवन का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । प्रकरण नम्बर से कम किया जावे ।

आदेश आज दिनांक 15.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा गिरी)
जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर